UPAD010019492026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 02, प्रयागराज

उपस्थित : सीमा सिंह–प्रथम, एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–743 / 2026

सत्य प्रकाश मिश्र पुत्र राम गोपाल मिश्रा उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम परानीपुर, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज। ..... आवेदक / अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0प्र0 ..... विपक्षी

अपराध सख्या–242 / 2022
अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506, 354 भा0दं0सं0
थाना मेजा, जनपद प्रयागराज

12.03.2026

1. आवेदक / अभियुक्त सत्य प्रकाश मिश्र की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के स्वयं का शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा प्रियन्का मिश्रा उर्फ नेहा ने दिनांक 16.05.2022 को संबंधित थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि प्रार्थिनी के पिता की मृत्यु हो गयी है। माता नीता पाण्डेय जीवित है। उसका विवाह ग्राम परानीपुर थाना मेजा के वेदप्रकाश के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से दिनांक–21.02.2022 को हुयी थी। दान दहेज में पॉच लाख रूपये नकद व बारात के स्वागत व खान पान में तीन लाख रूपये, बारात विदायी में मु0–25000 / – रूपये नकद, धान पान में दस हजार रूपये व विवाह रस्म अदायगी में मु0–50,000 / – रूपये खर्च किया है। सामान फ्रिज एल0ई0डी0 टी0वी0 श्रृंगारदान, सोफा, पलंग, डबल बेड, गद्दा, चद्दर तकिया सहित तीन पारात पीतल की तौल 5 किलो प्रत्येक परात सोफा कुर्सी 4 टेबुल एक बक्सा बड़ा छोटा, आदि सामान एवं आभूषण दिया था। प्रार्थिनी विदा होकर ससुराल परानीपुर आयी और ससुराल में

पत्नी धर्म निभाना शुरू किया। दिनांक–22.02.2022 से ही प्रार्थिनी के पति वेद प्रकाश मिश्र व ससुर राम गोपाल पुत्र संकठा प्रसाद मिश्र व जेठानी अंजली पत्नी जय प्रकाश मिश्र, देवर सत्यप्रकाश व ननद चंचल ने दहेज प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। प्रार्थिनी जैसे ही ससुराल गयी प्रार्थिनी की माता व बहन को भद्दी भद्दी अश्लील गालियॉ दिया और मनमाफिक दहेज न मिलना कहा और प्रार्थिनी को मायके से पल्सर मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये नकद लाने तथा एक कमरा मॉ से शहर के मकान में दिलाने का दबाव बनाया। जब प्रार्थिनी ने इस पर अपनी असमर्थता जताया तो प्रार्थिनी को उक्त लोगों ने दहेज को लेकर मारा पीटा तथा प्रार्थिनी को एक कमरे में बंद कर दिया। प्रार्थिनी कई कई दिनों तक भूख प्यास से तड़पती रही प्रार्थिनी रोती रही और गिड़गिड़ाती रही परंतु किसी ने दया नहीं दिखायी और प्रताड़ित करते रहे तथा जलाने की कोशिश की। प्रार्थिनी के बड़े ससुर कालिका प्रसाद मिश्र जो तान्त्रिक है, उनके बहकावे में आकर ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद द्वारा भूतप्रेत का बहाना बनाकर प्रार्थिनी को कमरे में बंद कर मारा पीटा गया और दुर्गति की गयी। प्रार्थिनी ने किसी तरह मायके संदेश भेजकर अपनी मॉ बहन के साथ मायके चली गयी। रिश्तेदारों व परिवार वालों के समझाने बुझाने पर सुलह समझौता लिखित हुआ जिस पर विश्वास कर प्रार्थिनी पुनः ससुराल परानीपुर दिनांक–03 अप्रैल 2022 को आयी। जहॉ ससुराल में जेठ जय प्रकाश व देवर सत्य प्रकाश प्रार्थिनी के उपर कुदृष्टि रखने लगे और मौका मिलने पर प्रार्थिनी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाने के लिए अश्लील हरकत कर दबाव बनाने लगे। जेठ जय प्रकाश ने नशीली गोलियॉ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। जिसकी शिकायत करने पर पति ने उल्टा प्रार्थिनी को मारा पीटा और उत्पीड़न तेज किया और ससुरालीजनों द्वारा पहले से अधिक दहेज उत्पीड़न शुरू किया गया और दहेज लाने की बात करने लगे। प्रार्थिनी सब कुछ सहकर लोक लाज के भय से ससुराल में रही लेकिन प्रार्थिनी के स्नान करते समय प्रार्थिनी के जेठ व जेठानी अंजली प्रार्थिनी की नग्न अश्लील विडियो मोबाइल पर 11 मिनट 44 सेकेण्ड की बनायी और उसे वायरल करने की धमकी दी और चुपचाप रहने हेतु ताकीद किया। जब प्रार्थिनी ने ससुराल के इस सब कृत्य की जानकारी मायके वालों को दिया तो वे क्रूर हो गये और सभी ने मिलकर मारा पीटा। प्रार्थिनी की देखभाल व खाना खर्चा दवा इलाज पति व ससुरालीजन नहीं करते। प्रार्थिनी के साथ पति द्वारा जबरदस्ती अप्राकृतिक मैथुन का काफी दबाव बनाकर कई बार किया गया। जिससे प्रार्थिनी व्यथित है। प्रार्थिनी ने सारी बातें फोन से मायके वालों को बतायी, जिस पर दिनांक–14.05.2022 को उसके भाई बहन व माता उसकी ससुराल आये। जहां उन्हें भी बेइज्जत कर मारा पीटा गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। पुलिस को सूचना

दिये जाने पर उसकी जान बची। उक्त ससुराली जन ससुर राम गोपाल मिश्रा, जेठ जय प्रकाश, जेठानी अंजली मिश्रा, देवर सत्य प्रकाश ननद चंचल ने प्रार्थिनी का सारा स्त्री धन छीनकर अपने कब्जे में रख लिया है और मायके वालों को जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थिनी जान बचाकर अपने मायके में रह रही है। घटना की सूचना दे रही है। इस घटना को गांव के लोगों ने देखा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसको झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी कोई सम्मन या सूचना प्रार्थी/अभियुक्त प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारन्ट निर्गत किया जा चुका है और संबंधित थाने की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपमानित करना चाहती है। सम्पूर्ण अभियोजन कहानी झूठी व मनगढन्त है, जो कि इस बात से साबित होता है कि वादनी मुकदमा का भाई व मां प्रार्थी/अभियुक्त के घर दिनांक 14.05.2022 को आये थे और पुलिस को सूचना दिए तो दिनांक 14.05.2022 को ही थाने में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया। मामले की वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके किस देवर द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गयी। वास्तविकता यह है कि वादिनी का स्वयं शादी के पहले से किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था और वह विवाह के समय ही गर्भवती थी, जिसकारण वह अपने स्त्रीधर्म का पालन नहीं करना चाहती थी। इसी कारण वह दिनांक 25.02.2022 को अपने मायके चली गयी और उसके बाद वह अपनी ससुराल कभी नहीं आयी। समान भूमिका वाले सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रस्तुत आपराधिक वाद प्रार्थी को अपमानित करने के उद्देश्य से पंजीकृत कराया गया है, अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुये यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और रिश्ते में वादिनी का देवर है। प्रार्थी/अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी और उक्त मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा वादिनी के साथ अश्लील हरकत भी की गयी है। वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 व 161 द0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा वह अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता,
2. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है,
3. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, और
4. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मामले के वादिनी की शादी सह अभियुक्त वेद प्रकाश मिश्र के साथ दिनांक 21.02.2022 को हुयी थी। वादिनी जब विदा होकर ससुराल आयी तो उसी दिन से उसके ससुरालीजन द्वारा उसके साथ दहेज प्रताड़ना करना शुरू कर दी गयी और भद्दी–भद्दी अश्लील गालियॉ देते हुये अतिरक्त दहेज में पल्सर मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये नकद लाने तथा एक कमरा मॉ से शहर के मकान में दिलाने का दबाव बनाया जाने लगा और विभिन्न प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। सुलह समझौता के बाद जब व पुनः अपनी ससुराल आयी तो वहां जेठ जय प्रकाश व देवर सत्य प्रकाश प्रार्थिनी के उपर कुदृष्टि रखने लगे और मौका मिलने पर प्रार्थिनी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाने के लिए अश्लील हरकत कर दबाव बनाने लगे। इस प्रकार मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में उपरोक्त अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा धारा 164 द0प्र0सं0 में प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन प्रस्तुत किया गया कि ''...मेरा देवर मेरे साथ छेड़खानी करता था, मेरे शरीर को गलत जगह छूता था।...'' इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के परिशीलन से उभयपक्ष एक ही परिवार के

सदस्य/रिश्तेदार होने और उनके मध्य पारिवारिक/वैवाहिक विवाद होना प्रतीत होता है। पारिवारिक विवाद/रंजिश के कारण आपराधिक वाद दर्ज कराया जाना भी प्रतीत होता है। मामले के सह अभियुक्तगण अंजली उर्फ प्रतिभा, चंचल मिश्रा व राम गोपाल मिश्रा की अग्रिम जमानत, प्रार्थनापत्र संख्या 648/2023 पर पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के द्वारा तथा वेद प्रकाश मिश्रा की अग्रिम जमानत, प्रार्थनापत्र संख्या 3647/2025 पर पारित आदेश दिनांक 11.09.2025 द्वारा तथा जय प्रकाश मिश्रा कि धारा 354 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु अग्रिम जमानत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 7531/2023 पर पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः साक्षियों को डराये/धमकाये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिकतम 05 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है।

8. केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा तथा मामले के समस्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** में दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सत्य प्रकाश मिश्र की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध सख्या–242/2022 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506, 354 भा0दं0सं0 थाना मेजा, जनपद प्रयागराज के प्रकरण में गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की सूरत में आवेदक/अभियुक्त को मु0 50,000/– की मालियत का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तो पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. जमानत पर छूटने के उपरांत अभियुक्त मामले से सम्बन्धित साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं और न ही प्रकरण के किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
2. अभियुक्त मामले के विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से मामले मे स्थगन लेकर मामले के निस्तारण मे विलम्ब नहीं करेगा।

3. अभियुक्त नियत तिथि पर विचारण के दौरान न्यायालय मे उपस्थित रहेगा।

4. वर्तमान अपराध के सदृष्य अन्य अपराध मे लिप्त नहीं होंगा।

(सीमा सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं. 2 प्रयागराज
J.O. Code No. UP01669

दिनांक 12.03.2026